**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रलाय**
**(राजस्व विभाग)**
**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना सं.35/2021-केन्द्रीय कर**

**नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2021**

सा.का.नि. ....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2.** केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

**(1)** उक्त नियमों के नियम 10क में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए,-

(क) "बैंक खाते के ब्यौरे" शब्दों के पश्चात् "जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम से हो और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।";

**(2)** उक्त नियमों के नियम 10क के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**10ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन.-** धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएँगे:

**सारणी**

| **क्र.सं.** | **उद्देश्य** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए **प्ररूप जीएसटी आरईजी-21** में आवेदन फाइल करने के लिए |
| 2. | नियम 89 के अधीन **प्ररूप आरएफडी-01** में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए |
| 3. | नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए |

परंतु यदि उस व्यक्ति को जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) (i) फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड;या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञपति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञपति;

परंतु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आवंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।";

**(3)** उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, "स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है," शब्दों के पश्चात् "नियम 10ख के प्रावधानों के अधीन रहते हुए" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

**(4)** उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) में, 1 अक्तूबर, 2021 से ,-

(i) "तिमाही के दौरान", शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "तिमाही से", शब्दों के स्थान पर, "उक्त अवधि से", शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अवधि" पद का अर्थ -

(क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगा; और

(ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा ।";

**(5)** उक्त नियमों के नियम 59 के उपनियम (6) में, 1 जनवरी, 2022 से, -

(i) खंड (क) में, "पिछले दो महीने के लिए", शब्दों के स्थान पर, "पूर्ववर्ती मास के लिए", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

**(6)** उक्त नियमों के नियम 89 में,-

(i) उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, "इलेक्ट्रोनिक रूप से" शब्दों के पश्चात, ", नियम 10ख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उसके द्वारा अन्त: राज्य प्रदाय समझे गए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्तवर्ती अन्तर-राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररुप **जीएसटी आरएफडी-01** में इलैक्ट्रानिक ढंग से आवेदन कर सकेगा:

परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में, उस तारीख से जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा ।";

**(7)** उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति से आधार अधिप्रमाणन करवाया है।";

**(8)** उक्त नियमों के नियम 96ख के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**(96ग) प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता** - नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए, "बैंक खाते" से आवेदक का ऐसा बैंक खाता अभिप्रेत होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है:

"परंतु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।"।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/26/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 32/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 29 अगस्त, 2021 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 29 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया ।